संचालनालय, आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी , सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष), छत्तीसगढ, रायपुर

डी. के. एस. परिसर, रायपुर 492001,
फोन नं. (0771) 2221640, फैक्स – 2221641, ईमेल – cgayush@gmail.com

क्रमांक / 1 / स्था. / राज. / महा. / प्रवेश / 2022–23 / रायपुर,दिनांक

बी.ए.एम.एस. / बी.एच.एम.एस. / बी.यू.एम.एस. / बी.एन.वाय.एस. पाठ्यक्रमों में सत्र 2022–23 में राज्य कोटे की सीटों पर प्रवेश हेतु ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन सूचना :–

राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET (UG) 2022 की प्रावीण्यता सूची के पात्र एवं "छत्तीसगढ़ आयुष स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम, 2019" की कंडिका 3 अनुसार प्रवेश हेतु पात्रता रखने वाले छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी एवं गैर स्थानीय निवासी अभ्यर्थी जो राज्य कोटे की आयुष स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक हैं, वे अभ्यर्थी दिनांक 01.12.2022 से 09.12.2022 तक ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन कर सकते है।

ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन के संबंध में आवश्यक जानकारियों का निम्नानुसार cghealth portal में आयुष विभाग के वेबसाईट एवं आयुर्वेदिक कॉलेज के वेबसाईट्स पर अवलोकन किया जा सकता है:–

1. www.cghealth.nic.in/ehealth/dishm/councellinginfo.html
2. www.gacraipurcg.in
3. www.gac.bilaspur.gov.in

शासकीय / निजी क्षेत्र के आयुष महाविद्यालयों की राज्य कोटे की सीटों का प्रावधिक विवरण निम्नानुसार है :–

शासकीय एवं निजी क्षेत्र के आयुष महाविद्यालयों की सीटों की संख्या

क्र.		महाविद्यालय का नाम	राज्य कोटे की सीट संख्या
(1)		(2)	(3)
1	आयुर्वेद	शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, रायपुर	63
2		शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, बिलासपुर	64
3		राजीव लोचन आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, चंदखुरी, दुर्ग	51
4		छ.ग. आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, मनकी, राजनांदगांव	51
5		भारती आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, पुलगांव चौक, दुर्ग	85
6		महावीर कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साईंस, ग्राम–सुन्दरा, राजनांदगांव	51
7	होम्योपैथी	रायपुर होम्योपैथी चिकित्सा महा. एवं चिकित्सालय, रामकुण्ड, रायपुर	43
8	यूनानी	मोहसिने मिल्लत यूनानी मेडि. कॉलेज एण्ड हॉस्पि., बैजनाथ पारा, रायपुर	34
9	प्रा. योग वि.	श्री महावीर प्राकृतिक एवं योग विज्ञान महाविद्यालय, राधिका नगर, सुपेला भिलाई, दुर्ग	50
		कुल योग	492

टीप :– शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, रायपुर की 01 सीट मलेशिया के छात्र हेतु आरक्षित है।

नोट :– 1. सीटों की संख्या परिवर्तनीय है। संबंधित संस्था हेतु भारत सरकार आयुष मंत्रालय / भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग / राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, नई दिल्ली / राज्य शासन द्वारा निर्धारित सीट संख्या अंतिम तथा मान्य होगी।

2. आयुष महाविद्यालयों जिन्हे भारत सरकार आयुष मंत्रालय / भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग / राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, नई दिल्ली / राज्य शासन से अनुमति / मान्यता तथा संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त है, उन्ही महाविद्यालयों में काउंसिलिंग / चयन की कार्यवाही की जावेगी।

3. शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर एवं बिलासपुर में EWS कोटे में प्रवेश का लाभ लेने हेतु निर्धारित बेबसाईट में अपलोड किये गये छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग / भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का अवलोकन करें एवं तद्नुसार प्रमाण–पत्र काउंसिलिंग / चयन के समय प्रस्तुत करें।

4. दिव्यांग (Persons with Disabilities-PwD) कोटे में प्रवेश का लाभ लेने हेतु निर्धारित बेबसाईट में अपलोड किये गये भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग की अधिसूचना दिनांक 16.02.2022 एवं केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद की अधिसूचना दिनांक 19.06.2019 का अवलोकन करें एवं तद्नुसार प्रमाण–पत्र काउंसिलिंग / चयन के समय प्रस्तुत करें।

5. महावीर कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साईंस, राजनांदगांव में अल्पसंख्यक (जैन धर्म) हेतु आरक्षित सीट में प्रवेश का लाभ लेने हेतु उक्त के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6. रजिस्ट्रेशन के पूर्व वेबसाईट में उपलब्ध छत्तीसगढ़ आयुष स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम, 2019 यथा संशोधन 2020 एवं भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी नियम / निर्देशों का भली–भांति अवलोकन किया जावे।

7. रजिस्ट्रेशन में त्रुटि सुधार दिनांक 09.12.2022 को मध्य रात्रि समय 11:59 बजे तक कर सकते हैं।

8. प्रवेश एवं काउंसिलिंग से संबंधित अन्य निर्देश / सूचना की अद्यतन जानकारी हेतु नियमित रूप से उक्त वेबसाईट का अवलोकन किया जा सकता है।

9. आयुष पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु उच्चतम आयु सीमा का अंतिम निर्धारण माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर यायिका क्रमांक SLP(C) 14320/2018 मे पारित अंतिम निर्णय के अध्यधीन होगी।

नोट :– सभी शासकीय एवं निजी आयुष महाविद्यालयों के आयुष स्नातक पाठ्यक्रमों की सभी सीटों का आबंटन संचालनालय आयुष, रायपुर द्वारा गठित समिति द्वारा किया जावेगा। अतः किसी व्यक्ति / संस्था / एजेंसी के प्रलोभन में न फंसे।

30/11/22

संयुक्त संचालक
आयुर्वेद,योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा,यूनानी,
सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) छत्तीसगढ़

मास्क पहनें, 2-गज की दूरी अपनाएं, साबुन से हाथ ...